केन्द्रीय विद्यालय क्र. 2 रूड़की
कोटेशन आमंत्रण पत्र

F.Q.VVN/KV-2/RKE/2018-19 / दिनांक : 24.01.2019

विषय : विद्यालय में विज्ञानं सामग्री (Science items) हेतु कोटेशन आमंत्रण सम्बन्धी।

1. विद्यालय में वर्ष 2018–19 के लिए **विज्ञान** सामग्री के क्रय हेतु विभिन्न पंजीकृत फर्मों से संलग्न सूची के अनुसार कोटेशन आमंत्रित की जाती है। कोटेशन बन्द एवं सीलड लिफाफे में दिनांक 14.02.2019 अपरान्ह 02 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए और उसी दिन **03.00 बजे** कोटेशन विद्यालय में खोली जायेंगी।
2. कोटेशन क्रम सं 03 से 12 तक दी गयी शर्तों के अनुसार होनी चाहिए।
3. कोटेशन मुहर बन्द लिफाफे में डालकर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय क्र. 2 रूड़की पिन–247667 जिला–हरिद्वार, को भेजी जानी चाहिए तथा लिफाफे के ऊपर **विज्ञानं सामग्री हेतु कोटेशन** स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। कोटेशन **रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट** से भेजी जानी चाहिए।
4. कोटेशन प्रपत्र में किसी भी प्रकार कटिंग, ओवर राइटिंग नहीं की जायेगी। मूल्यों /दरों की संख्यात्मक मान में कटिंग/ओवर राइटिंग होने पर कोटेशन रदद् कर दी जायेगी।
5. जो फर्म कोटेशन जमा करना चाहती हैं वे जमानत के रूप में कुल रु **5000/–** की धनराशि NEFT के माध्यम से केन्द्रीय विद्यालय क्र. 2 रूड़की के बैंक **यू. बी. आई. सिविल लाइन्स, रूडकी** खाता संख्या 344002050000149 एवं आई.एफ.सी. कोड़ सं. UBIN0534404 में जमा करवायें और बैंक में जमा धनराशि का प्रमाण कोटेशन के साथ विद्यालय में जमा करेंगे यह राशि कोटेशन निरस्त होने की स्थिति में वापस कर दी जायेगी तथा जिस फर्म की कोटेशन स्वीकर होगी उसे कुल क्रय का 10 % (जमानत राशि को समायोजित करते हुए) जमानत/धरोहर राशि के रूप में विद्यालय में जमा करनी होगी। सिक्योरिटी राशि कार्य सफलता पूर्वक सम्पन्न हो जाने के छः माह बाद लौटायी जायेगी। NEFT के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से सिक्योरिटी राशि स्वीकार नहीं की जायेगी। बिना सिक्योरिटी राशि जमा किये कोटेशन निरस्त कर दी जायेगी।
6. कोटेशन में लिखित विभिन्न सामग्री की दरों में सभी प्रकार के कर इत्यादि सम्मिलित होने चाहिए। विद्यालय द्वारा अलग से किसी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जायेगा।
7. सामग्री विद्यालय पहुंचाकर (FOR) दी जायेगा जिस पर सम्पूर्ण व्यय फर्म द्वारा वहन किया जायेगा अर्थात सामग्री **एफ.ओ.आर. विद्यालय परिसर पर प्राप्त की जायेगी** जिसका किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय विद्यालय द्वारा नहीं दिया जायेगा। सामग्री के लिए किसी प्रकार का पैकिंग चार्ज मान्य नहीं होगा।
8. फर्म द्वारा दिये गये मूल्य ***(सभी कर सहित)*** दिनांक 28-02-2020 तक के लिए मान्य होंगे। क्रय आदेश प्राप्त होने के 01 सप्ताह के अन्दर सामग्री विद्यालय में पहुँचनी अनिवार्य है।
9. सभी इच्छुक फर्में अपनी जी.एस.टी. प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड संख्या. , पंजीयन संख्या के प्रमाण की स्वः हस्ताक्षरित छाया प्रति अपनी कोटेशन के साथ संलग्न करें अन्यथा उनके द्वारा भेजी गयी कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
10. इच्छुक फर्में अपनी फार्में पर स्वः हस्ताक्षर करके एवं मोहर लगाकर अपनी कोटेशन के साथ विद्यालय को भेज दें।
11. सामग्री के मामले में मोलभाव (Negotiation) करने का अधोहस्ताक्षरी के पास अधिकार होगा और सामग्री कों मानकों के अनुसार न होने के कारण अधोहस्ताक्षरी को सामग्री फर्म को वापस करने का अधिकार होगा एवं कोटेशन दरें/अनुबंन्ध रदद करने का अधिकार होगा।
12. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में रूड़की / जनपद न्यायालय में ही विवादों का निस्तारण होगा।

कोटेशनदाता के हस्ताक्षर मोहर सहित प्राचार्य